

## राजनीति का अपराधीकरण

**[CRIMINALISATION OF POLITICIANS]****Name: Sheela Devi (Karnal)****Political Science**

राजनीति में आगे बढ़ने और सत्ता हथियाने के लिए अपराध का प्रयोग ही राजनीति को अपराध प्रधान बनाकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपराध का सहारा लेना राजनीति का अंग बन जाता है। तो इसको राजनीति अपराधीकरण की संज्ञा दी जाती है। किसी न किसी तरह सत्ता तक पहुंचने की आकांक्षा ही अपराध प्रधानता प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। वर्तमान समय में धूर्त, दुष्ट और बदमाश अधिकाधिक संख्या में प्रवेश लेने का कारण यह है। कि राजनीति सबसे शीघ्र और सबसे अधिक लाभ पहुंचाने वाला धंधा बन गया है। यह विचार चल रहा है कि आपराधिक तंत्रों को अपनाने में निपुण व्यक्ति के लिए अपराध और राजनीति को एक साथ आज राजनीति में एक के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करना सरल हो गया है।

भारत में लगभग 1 करोड़ 80 लाख शिक्षित बेरोजगार और शिक्षित-अशिक्षित पूरे बेरोजगार और अर्द्ध-बेरोजगार सब कुल मिलाकर तो यह संख्या 15 करोड़ के लगभग है। ये पंडित व्यक्ति खुली आंखों से देख रहे कि अपराधी तत्व फाइव स्टार होटलों, जहाजों, वातानुकूलित शयनयानों, हेल्थ क्लबों और ऐशोआराम के सभी साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। अपराध के आधार पर जब इन्होंने धन कमा लिया, तब समाज में इन्हें सम्मान और भारी सम्मान प्राप्त हो गया है। ये तथ्य शिक्षित-अशिक्षित बेरोजगार, युवा वर्ग, विशेषतः शिक्षित बेरोजगारों को अपराध और कालान्तर में राजनीति के अपराधीकरण की ओर धकेलते हैं। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण उन राज्यों में अधिक हुआ है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तथा जहाँ पढ़े लिखे लोगों में भारी बेरोजगारी है।

सत्ता प्राप्ति राजनीतिक का एक मात्र लक्ष्य हो गया है। चयन के समय उम्मीदवारों का चयन करते समय की शिक्षा, नैतिक चरित्र, दल के प्रति उसकी निष्ठा-कर्मठता, आदि की तुलना में केवल उस बात को महत्व दिया जाता है। कि उसकी चुनाव जीतने की सम्भावनाएं कितनी हैं और उसे उम्मीदवार बनाने पर राजनीतिक दल को कितने लाभ और किस प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने अपराध प्रवृत्तियों को अपनाकर बड़ी मात्रा में धन अर्जित कर जिनको साधन देते हैं कुछ अन्य निर्वाचक क्षेत्रों में बाहुबल के आधार पर पार्टी के पक्ष में मत डलवाते हैं। तथा इन सब पर किसी प्रमुख दल का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। जब राजनीति धन और बाहुबल का खेल बन चुकी है। विधायक और सांसद के आगे की सीढ़िया भी ये अपराधिक रिकार्ड वाले राजनीतिज्ञ अधिक शीघ्रता के साथ चयन का तथ्य यह है कि मात्र

विधायक और सांसद रहते हुए भी ये कलंकित राजनीतिज्ञ अन्य विधायको और सांसदों की तुलना करे प्रभावित करने में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।

मंत्री, विधायक और सांसद की बात तो कुछ राज्यों में तो शासक दल के छुटभैया नेता प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों पर दबाव डालने लगे हैं। कुछ प्रशासन के सर्वोच्च स्तर पर आसीन मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोकने के स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

चुनाव और सत्ता राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग है। लेकिन चुनावों का अनवरत चक्र और आठों प्रहर की सत्ता राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासन आघात पहुंचाते हैं। तथा अपराधियों को और कालान्तर में राजनीति के अपराधीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। प्रारंभ में वे फर्जी मतदान मतदान केन्द्रों पर कब्जा, धमकी, मारपीट गुण्डागर्दी आदि के आधार पर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को मदद देकर उनके 1967 से पहले तक सामान्यता पाँच वर्ष में एक बार चुनाव होते थे, लेकिन 1967 से चुनाव का कोई कलैंडर ही नहीं रही है, आये दिन चुनाव होते हैं और देश में सदा ही चुनाव का वातावरण बना रहता है। आये दिन बहुत बड़ी संख्या में अपराधियों को राजनीति में प्रवेश दिया जाता है।

सत्ता राजनीतिक और सर्वोच्च राजनीतिज्ञ के अपराधीकरण के लिए प्रमुख रूप से दोषी है। राजनीतिक अपने शुद्ध स्वार्थों के लिए अपराधी को संरक्षण देते हैं, आश्रय देते हैं, और कठिन घड़ियों में सभी प्रकार की सहायता देते हैं। राजनीतिज्ञों से प्राकृतसाहन पाकर ये अपराधी पहले बड़े अपराधी बनते हैं। और फिर राजनीति में प्रवेश करते हैं। अपराधी को राजनीति में लाने में कोई एक राजनीतिज्ञ या कुछ राजनीतिज्ञ भूमिका अवश्य ही निभाते हैं। विधानसभा हार जाने पर भी उन्हें 'जैड' श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। यह भी देखा गया कि ये हिस्ट्रीशीटर अपने अंगरक्षकों को भी अपराधिक कार्यों में संलग्न कर लेते हैं। राजनीति के अपराधीकरण के सम्बन्ध में नियुक्त की गई बोहरा यमिति का संरांश है- "अपराधी गिरोह राजनीतिक संरक्षण में फलफूल रहे हैं। राजनीतिज्ञों और अपराधियों पर गठबंधन एक समानान्तर सरकार चला रहा है, जिसने राज्य को अप्रसंगिक कर दिया है।

इन अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों के चुनाव में विजय होने के कारण ये हैं- भारत की राजनीति में, विशेषतया बिहार और उ.प्र. तथा अन्य कुछ राज्यों की राजनीति में जाति ने एक तत्व, कई बार प्रमुख तत्व की भूमिका प्राप्त कर ली है। अपराधी लोगों की एक जाति होती है साधनों और बाहुमल के प्रभाव से वह अपनी जाति में प्रभावी स्थिति रखता है कुछ प्रतिशत मत वह जाति के बल पर प्राप्त कर लेता है फर्जी मतदान और मतदपन केन्द्रों पर कब्जा वह अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक सफलता के साथ कर लेता है। मतदाता एसकी धमकी के प्रभाव और आतंक से परिचय होते हैं। अपराधिक राजनीतिज्ञ अपनी सारी बुराइयों के बावजूद अपने ही कार्यवश जनता के दुख दर्द में साझीदार बनते हैं तथा इस बात का राजनीतिक

लाभ उन्हें मिलता है। ये अपराधिक राजनीतिज्ञ मे निर्वाचक क्षेत्र को और अपने समर्थको को कई लाभ पहुंचाते है, लूटमार दूसरे क्षेत्रो मे करते है। ये सभी बाते आंशिक रूप से सत्य हैं। लेकिन इन सब बातो के बावजूद अपराधिक रिकार्ड वाले राजनीतिज्ञो की विजय के लिए जनता भी दोषी है। सामान्य धौंस-डपट और संकीर्ण हितो से ऊपर उठकर देश के व्यापक हित की वह बात नहीं सोचती या नहीं सोच पाती।

समाज और समस्त व्यवस्था मे अपराधो के बढ़ने और अपराधियो की समस्त व्यवस्था मे सम्मानजनक स्थिति प्राप्त होने का एक बडा कारण है-शासन की क्षमता और गुणवता मे उत्तरोत्तर कमी आयी। इस देश मे अनेक क्षेत्रो मे तो अब कोई शासन रहा ही नहीं है। माफिया राज चल रहा है अपराधी वर्ग मे अब भ्रष्टाचार बल पकडता जा रहा है। कि छोटा अपराध करने पर सजा होती है। बडे अपराध करने पर, सगठित रूप से करने नामी-गिरामी अपराधी बन जाने पर न केवल अधिकारी वर्ग वरन् समस्त शासन को झुकाया जा सकता है। डेढ़ सौ से तो शासन ने अपराधियो और आंतकवादियो के सम्मुख खुले रूप से घुटने टेकने की नीति अपना रखी है।

1962 मे चीन के हाथो भारत की पराजय के बाद कांग्रेस ने महसूस किया के उसका जनाधार खिसक रहा है तथा अब उसके आत्मविश्वास मे भारी कमी आई। अब उसने अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और जातिवाद जैसी बुराइयो से निबटने के स्थान पर इन बुराइयो के साथ हाथ मिला लेने की बात सोची। विपक्षी दल उत्तर भारत के राज्यो तथा प. बंगाल जैसे राज्यो मे सत्ता पाने के लिए उतावले थे तथा आचार विहीनता प्रसंग मे वे कांग्रेस से पीछे नहीं है। 1967 तक आते-आते कुछ बडे और साधन सम्पन्न अपराधियो के मानस मे राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने जन्म ले लिया है। अब वे सोचने लगे कि उन्हें तो खुद चुनाव लडना चाहिए तथा वे खुद किसी प्रमुख राजनीति दल के उम्मीदवार बन सकते हैं। अधिकांश प्रदेशो मे विशेषयता उ.प्र. बिहार और प. बंगाल, आदि राज्यो मे कांग्रेसी और विपक्षी दल- दोनो सत्ता के लिए किसी को भी गले लगाने के लिए उतारू थे। “जीत की सर्वाधिक सम्भावना वाले उम्मीदवार का चयन” उनका सर्वोच्च आधार बन जाता है।

फर्जी मतदान मतदान केन्द्रो पर कब्जा, धमकी, मारपीट, गुण्डागर्दी, अब राजनीति का हिस्सा बन चुके है। चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे इन घटनाओ का उल्लेख नहीं किया, यद्यपि अनेक स्थानो पर पुर्नमतदान के आदेश दिये गये। विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यो मे राजनीतिक उठा पटक हुई- घोर अव्यवस्था, अकल्पनीय अनुशासनहीनता, रोज दल बदल, कुछ कमजोर व्यक्तियो का मुख्यमंत्री बनना, मंत्री पद पर आसीन व्यक्तियो के गिरते हुए स्तर, आदि से जुडी हुई जो घटनाए हुई। उसने शेष बची सभी राजनीतिक मान-मर्यादाओ को झटके मे समाप्त कर दिया। अपराधी तत्वो ने यह भी सोचा कि ‘ राजनीति तो सबसे अधिक लाभ का धन्धा और निरापद धन्धा ’ बन सकती है।

1980 ती 84 के लोकसभा चुनाव भी किसी न किसी रूप में मुदा आधारित चुनाव थे इसलिए स्थिति ने और अधिक विकृति प्राप्त नहीं की, लेकिन 1989 से लेकर 2000 ई. तक राजनीतिक अपराधीकरण की दिशा में इतनी अधिक तेजी से आगे बढ़ा है कि अन्तिम दशक के अन्त तक स्थिति शोचनीय हो गई है। 1989 में देश जो चुनाव हुए, उस दौरान अपराधी तत्व और माफियादारों का जैसा प्रयोग राजनीतिज्ञों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में किया गया यह लोकतन्त्र की शर्मनाक स्थिति थी। न केवल साधारण निर्वाचन क्षेत्रों वरन् अति राजनीतिज्ञों के निर्वाचन क्षेत्रों में भी माफिया तत्वों सहारा लिया गया तथा मतदान केंद्रों को प्रभावित करने के लिए हर सम्भव हथकण्डा अपनाया गया।

जब अपराधी विधायक बनते हैं, तो सदन में मारपीट की स्थिति हो सकती है। जब उ.प्र. में मुलायम सिंह यादव बसपा के सहयोग से दुबारा मुख्यमंत्री बने थे, तब विधायक के पहले ही दिन सदन में न केवल हंगामा और मारपीट की गई, वरन् ऐसी रत्करंजित मारपीट की गई, जिसकी कमसाल नहीं मिलती। यह गुण्डागर्दी, अजाबकता और राजनीतिक अपराधीकरण की पराकाष्ठा का संकेत है। अब मिसाल भी बनने लगे। मुलायम सिंह यादव के पतन के बाद मुख्यमंत्री पद पर आसीन मायावती ने दीनानाथ भास्कर नाम के आदमी को अपने मंत्रिमण्डल में लिया, जिसपर तीन पुलिसकर्मियों सहित सात व्यक्तियों की हत्या में शामिल होने का कारण भास्कर को मंत्रिमण्डल से हटाया गया।

अपराधिक छवि वाले विधायकों के मामले में राज्य की 15वीं विधानसभा का स्वरूप भी 14 वीं विधानसभा अलग नहीं है। इस बार भी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, मुख्तार अंसारी, अखिलेश सिंह, अमरमणि सिंह, डी.पी.यादव और मदन भैया जैसे नेता विधायक चुन लिए गये।

Name: Sheela Devi, Add. H.No. 1193, Sec-9, Karnal - 132001